

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संग्रहित करें)	17600
II	भारती (टिप्पणी) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संग्रहित करें)	/
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से भ्रष्टाचार, उपहार या बंधे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संग्रहित करें)	/
कुल		17600

भाग-III अथवा द्वारा खर्च की गई निधियों के खाते का सार

10	प्रकाश की मदे जैसे पक्तिबद्ध लाईट, बोर्ड आदि					
11	परिवहन पर व्यय, हेलीकाप्टर/एयस्क्रेप्ट/वाहन/नाव आदि का प्रभार (स्वयं, गणमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा कोई अन्य प्रचारक के लिए)					
12	विद्युत खपत/जेनरेटर प्रभार					
13	स्थल के लिए किराया					
14	गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार					
15	स्वयं, गणमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित कोई अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने का व्यय					
16	अन्य व्यय				17600	17600
कुल						

(९०)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



Notary Maheshwar
S.P. Mishra
NOTARIAL NOTARIAL

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

"शपथ पत्र"

11AD 851484

सम्बन्ध :-

जिला निर्वाचन अधिकारी
जनपद गोरखपुर

में राम रजिवन पुत्र स्वर्ण श्री राम कान सिंह
अर्ज 35 वर्ष निवासी महाराजगंज पो० परमेश्वरपुर

जनपद गोरखपुर का स्थाई निवासी हूँ। एतद्वारा
ईमानदारी पूर्वक निम्न प्रका से घोषणा करती हूँ।

1- यह कि मैं 321 पिपराइच विधानसभा क्षेत्र विधान
सभा सदस्य निर्वाचन अभ्यर्थी था जिसका
पश्चिम दिनांक - 11-03-2017 को घोषित किया गया
था।

प्रोफार्मा संलग्न है।

Notary Maheshwar
S.P. Mishra

774117

राम रजिवन
शपथकर्ता

शपथ-पत्र का प्रारूप

..... जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र)
 मैं सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु वर्ष

..... द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

1. यह कि मैं राम राजवत की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन
 में संघ राज्य क्षेत्र 32 संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिसका
 को घोषित किया गया था ।

2. यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक (यह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया
 इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन
 मेरे एवं मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है ।

3. यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया
 गया है। उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ संलग्न है ।

4. यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता,
 मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य
 व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व
 अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के
 व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है ।

5. यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में
 मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले
 व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं ।

6. यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार
 सत्य हैं। इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

..... के इस दिन में द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ के लिए
 अधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक (.....
 उपा मुहर)